कार्यक्रम

नागरिकों को मिला राइट टू सर्विस एक्ट से समय पर सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिलने का अधिकार : टीसी गुप्ता

'निर्धारित समयावधि में नागरिकों को सरकारी सेवाओं से लाभान्वित करें'

जागरण संवाददाता,झज्जर : राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, सेवानिवृत ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समयावधि में जनसेवा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ऐसे में सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार की सेवाओं व योजनाओं का तय समय सीमा के भीतर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं व योजनाएं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित है। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता सोमवार को झज्जर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आडिटोरियम में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डीसी श्याम लाल पूनिया ने झज्जर आगमन पर मुख्य आयुक्त का स्वागत किया और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं व योजनाओं की प्रगति के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागवार अवगत कराया।

मुख्य आयुक्त गुप्ता ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं व योजनाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए जा थे कदमों पर प्रोत्साहित किया और कहा कि निर्धारित समयावधि में कार्य करते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया जाए। मुख्य आयुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से प्रत्येक सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

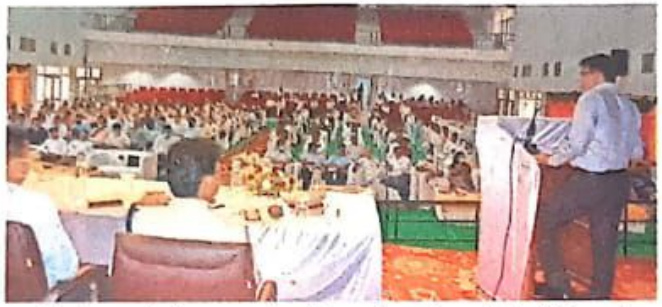

राजकीय नेहरू कालेज के सभागार में आयोजित समीक्षात्क बैठक उपरांत संबोधित करते राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, सेवानिवृत्त। • डीपीआर

सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। इस दौरान सभी अधिकारी यह ध्यान रखें कि आवेदनों का रिजेक्शन रेट कम हो और आमजन संतुष्टि दर में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड सेवाओं की समीक्षा के दौरान वे इन दो पहलुओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ है कि सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट में आम जिंदगी से जुड़ी 546 सेवाएं अधिसूचित हैं। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आनलाइन दी जा रही हैं। इन सेवाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट हरियाणा-आरटीएस.जीओवी.इन पर उपलब्ध है। सेवाओं के साथ स्कीम की जानकारी भी इस वेबसाइट पर दी गई है। नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोड़ने या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत सांझा करने के लिए आरटीएस-एचआरवाईएटजीओवी. इन पर ई-मेल कर सकते हैं। इस अवसर पर रोहतक मंडल आयुक्त पंकज यादव, डीसी श्याम लाल पूनिया, एसपी राजेश दुग्गल, डीएमसी प्रदीप कौशिक, एसडीएम झज्जर शिखा, एसडीएम बेरी रविंद्र कुमार, एसडीएम बहादुरगढ़ भूपेंद्र सिंह, एसडीएम बादली विशाल कुमार, सीटीएम रेणुका नांदल व डीआइओ अमित बंसल सहित भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान व सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान कई लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि नागरिक सुविधा केंद्रों पर संचालकों द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि झज्जर में अटल सेवा केंद्र (सीएससी) संचालक सरकारी सेवाओं के लाभ के लिए यदि निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूल करता है तो जांच करके संबंधित सीएससी का लाइसेंस रद किया जाए। मुख्य आयुक्त गुप्ता ने कहा कि सीएससी संचालक किसी भी रूप से यदि सरकारी फीस से अधिक फीस लेता है तो उस पर नियमानुसार कारंवाई अमल में लाई जाए।